

**GST के संबंध में सभी Stake Holders / व्यवसायीगण / सभी अधिवक्ता / चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लिए  
वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र०), राँची प्रमण्डल के कॉन्फेन्स हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम**

(प्रतिदिन 02.30 अपराह्न से 07.30 बजे अपराह्न तक)

प्रमण्डल	स्थान	सेक्टर अनुरूप	कार्यशाला की तिथि
राँची	राँची	दवा व्यवसायी, मेडिकल उपकरण	01.06.2017
राँची	राँची	थोक एवं खुदरा रेडिमेड एवं कपड़ा व्यवसायी	02.06.2017
राँची	राँची	इलेक्ट्रॉनिक / इलेक्ट्रिकल्स, मोबाईल एवं कम्प्युटर	03.06.2017
राँची	राँची	मशीनरी पार्ट्स एवं हार्डवेयर	05.06.2017
राँची	राँची	टायर / ट्युब्स, फ़ैल्पस, प्लास्टिक सिड्स	06.06.2017
राँची	राँची	सभी ऑटोमोईबल / ट्रैक्टर / 2 व्हीलर, 3 व्हीलर	08.06.2017
राँची	राँची	सभी खाद्य तेल एवं खाद्य सामग्री	09.06.2017
राँची	राँची	होटल एवं रेस्टोरेण्ट एवं कुकण्ड फुड	10.06.2017
राँची	राँची	वर्कस् कन्ट्रेक्टर/ जॉब वर्क्स	12.06.2017
राँची	राँची	आयरन एण्ड स्टील, स्क्रैप	13.06.2017
राँची	राँची	गैस एजेंसी एण्ड इण्डस्ट्रीयल गैस	14.06.2017
राँची	राँची	पेस्टीसाईड एवं फर्टीलाईजर	15.06.2017

वाणिज्य-कर प्रमण्डलीय कार्यालय के सभागार में जीएसटी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। प्रमण्डलीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र०) से आग्रह है कि सेक्टर अनुरूप व्यवसायी संगठनों से वार्ता करके अगर वे किसी अन्य भवन में जीएसटी कार्यशाला का आयोजन कराना चाहते हैं तो तदनुसार कार्यशाला स्थान को बदल सकते हैं।